12/06/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण का अवलोकन किया। – आवेदक हरियर सिंह पिता चैतराम, निवासी–दोंदरों, तहसील व जिला–कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम– दोंदरों, प.ह.नं. 13, तहसील– कोरबा में ख.नं. –184/2 रकबा 0.470 हे. भूमि स्थित है। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि पर 50 वृक्ष सागौन के रोपित किया गया है, जिसमें से 25 वृक्ष सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल – कोरबा, जिला– कोरबा, छ.ग. के पत्र कमाक/राजस्व/3384 कोरबा, दिनांक 29/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम–बेला, तहसील व जिला– कोरबा में ख.नं. 184/2 रकबा 0.470 हे. भूमि पर 50 नग सागौन वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल– 25 नग सागौन वृक्षों को काटने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है। –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। –छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:– (क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर, (ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर, (ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में, (घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा (ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा (च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।

– कुल 25 नग सागौन वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/– प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में ''रोपण निधि'' के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसाा करती है, कि भू–स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

–आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

–उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल– 25 नग सागौन वृक्षों को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

1888

प्ररूप–ड़

(नियम 7(2) देखिये)

अनुमति

प्रति,

हरियर सिंह पिता चैतराम,
निवासी–दोंदरों, प.ह.नं.–13
तहसील व जिला.–कोरबा,

विषयः– रोपित सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत्।

——00——

आवेदक हरियर सिंह पिता चैतराम, निवासी–दोंदरों, तहसील व जिला– कोरबा, छ. ग. के नाम पर ग्राम– दोंदरों, प.ह.नं. 13, तहसील– कोरबा में ख.नं. –184/2 रकबा 0.470 हे. भूमि स्थित है। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि पर 50 वृक्ष सागौन के रोपित किया गया है, जिसमें से 25 वृक्ष सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल – कोरबा, जिला– कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमाक/राजस्व/3384 कोरबा, दिनांक 29/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम–बेला, तहसील व जिला– कोरबा में ख.नं. 184/2 रकबा 0.470 हे. भूमि पर 50 नग सागौन वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल– 25 नग सागौन वृक्षों को काटने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

कुल 25 नग सागौन वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/– प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अधीन रखाी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसाा करती है, कि भू–स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

//2//

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल– 25 नग सागौन वृक्षों को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभाग, कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र. 1889 /अ.वि.अ./वाचक/2026 कोरबा, दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार – कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग, कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छत्तीसगढ़)